भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 - 1145
उत्तर देने की तारीख - 16 अगस्त, 2013

अनचाहे वाणिज्यिक सम्प्रेषणों को नियंत्रित करने के लिए ढांचा

1145. श्री नंद कुमार साय :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में अनचाहे सम्प्रेषणों की परेशानी को नियंत्रित करने के लिए ढांचे को कड़ा किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने 'टेलीकॉम कामर्शियल कम्युनिकेशन्स कस्टमर प्रेफेरेंस (बारहवां संशोधन) विनियम, 2013' को अन्तिम रूप देने से पूर्व विभिन्न पणधारियों एवं विशेषज्ञों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं;
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) और (ख) ट्राई ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 2010 की मार्फत अवांछित वाणिज्यिक संदेशों (यूसीसी) का समाधान करने के लिए एक संशोधित कार्यपद्धत्ति निर्धारित की है और ये विनियम दिनांक 27.09.2011 से लागू किए गए। ट्राई ने इन विनियमों में विभिन्न संशोधन भी किए हैं तथा विनियामक कार्यपद्धत्ति को अधिक प्रभावी और कड़ा बनाने के लिए अनेक निर्देश जारी किए हैं।

ट्राई ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता (बारहवाँ संशोधन) विनियम, 2013 की मार्फत अवांछित वाणिज्यिक कॉल (यूसीसी) को नियंत्रित करने के लिए कार्यतंत्र को और अधिक कड़ा किया है। इन विनियमों में अभिगम सेवा प्रदाताओं को इस प्रकार के अपंजीकृत टेलीमार्केटरों (जिन्होंने टेलीमार्केटर के रूप में ट्राई के साथ पंजीकरण नहीं कराया है) के दूरसंचार संसाधनों को काटे जाने का अधिदेश दिया गया है। साथ ही, ऐसे उपभोक्ताओं के नाम और पतों को काली सूची में डाल दिया जाता है। ऐसे उपभोक्ताओं को दो वर्षों तक कोई दूरसंचार संसाधन प्रदान नहीं किया जाएगा। काली सूची की मार्फत ऐसे टेलीमार्केटरों की पहचान की जाती है।

(ग) से (ङ.) ट्राई ने दिनांक 3 अगस्त, 2012 को "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 2010 की समीक्षा" और "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता (दसवाँ संशोधन) विनियम, 2012" के प्रारूप पर एक परामर्श दस्तावेज जारी किया। विभिन्न स्टेकधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। दिनांक 10 अक्तूबर, 2012 को दिल्ली में विभिन्न मुद्दों और प्रस्तावों पर 'ओपन हाउस चर्चा' आयोजित की गई। परामर्श प्रक्रिया के दौरान स्टेकधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया गया और ट्राई ने टेलीमार्केटर के रूप में ट्राई के पास पंजीकृत नहीं किए गए उपभोक्ताओं की ओर से भेजी जाने वाली अवांछित वाणिज्यिक कॉल (यूसीसी) से संबंधित कुछ मुद्दों का निराकरण करने के लिए दिनांक 5 नवंबर, 2012 को "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता (दसवाँ संशोधन) विनियम, 2012" और दूरसंचार प्रशुल्क (चौवनवाँ संशोधन) आदेश, 2012 जारी किए। प्राधिकरण द्वारा किए गए इन परामर्शों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, उपरोक्त संशोधन को जारी किए जाने के साथ, ट्राई ने दिनांक 24.5.2013 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियम, 2013" "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता (बारहवाँ संशोधन) विनियम, 2013" जारी किए।

*****